<u>**प्रेस नोट–**</u>

<u>**थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी**</u>

<u>**दिनाँक –26.05.2026**</u>

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **ऑनलाइन सट्टा/जुआ से संबंधित अभियोग में नामित/वांछित अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण।**
- **झाँसी पुलिस के लगातार दबाव एवं प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप वांछित अभियुक्त ने किया सरेंडर।**
- **मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार झाँसी भेजा गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के निर्देशन में जनपद झाँसी में साइबर अपराधियों एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टा/जुआ से संबंधित पंजीकृत **मु0अ0सं0 205/2026 धारा 112(2) बीएनएस एवं 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम** में नामित/वांछित अभियुक्त **आरक्षी रजत कुमार पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम समदपुर, थाना सादाबाद, जनपद हाथरस** की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी तथा उसकी तलाश में प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस की लगातार कार्रवाई एवं बढ़ते दबाव के चलते अभियुक्त रजत कुमार द्वारा आज दिनांक **26.05.2026** को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए **जिला कारागार झाँसी** में निरुद्ध कराया गया।

<u>**अभियुक्त का विवरण :–**</u>

1. आरक्षी रजत कुमार पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम समदपुर, थाना सादाबाद, जनपद हाथरस।

<u>**आपराधिक इतिहास-**</u>

1- मु0अ0सं0 208/2026 धारा 106(1), 281 बी0एन0एस0 थाना नवाबाद जनपद झांसी

2- मु0अ0सं0 205/2026 धारा 112(2) व 3/4 सार्वजनिक जुआं अधि0 थाना सीपरी बाजार झांसी